



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503।

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 503।

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 मार्च 2012

का.आ. 581(अ).—क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधार उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी और मूल्य प्रभावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. संक्षिप्त नाम और आरंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपायन नीति आदेश, 2012' है।
 (2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञायन उपायन - (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपायन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपायन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।

(2) उपायन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपायन लक्ष्य आज्ञायक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपायन के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात् 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

5. वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपायन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपायन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देंगे।

(2) वार्षिक रिपोर्ट सूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।

6. निविदा में भूल्य कोटेशन - (1) टेंडर में, सहभागी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

(2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।

7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास - केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना - मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अभिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।

9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वाभित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, की भागीदारी बढ़ाना - सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।

10. संव्यवहार लागत में कमी - व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण - विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख)का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12. पुनर्विलोकन समिति - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश सं 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोक / उपारिक्त करेगा।

(2) यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।

13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना - इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलाभप्रदा स्थिति में रखते हैं।

14. रक्षा उपापन के लिए विशेष प्रावधान - (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।

(2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।

15. कठिनाई का निवारण - उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी कठिनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

[फा.सं. 21(1)/2011-एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अनुबंध

सं. 21(1)/2007-एमए

भारत सरकार
 जून, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
 विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन,
 नई दिल्ली-110108
 तारीख: 21 जून, 2010

आदेश

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपायन गोपने के अधीन समिति का गठन

सूक्ष्म और लघु उद्यम (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपायन नीति दे लम्बित अनुमोदन के अनुसार नेटवर्क नेटवर्कों / विभागों के संबंध में प्रक्रिया नीति के कुछ उपबंधों के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की जवाबदाता सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय होता की जाएगी।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(I) सचिव, सू. ल. और म. उद्यम मंत्रालय	: अध्यक्ष
(II) सचिव, योजना आयोग	: सदस्य
(III) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	: सदस्य
(IV) महानिदेशक (आपूर्ति और निपटान), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	: सदस्य
(V) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म. उद्यम)	: सदस्य-सचिव

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;
- (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;
- (iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपायन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और
- (iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपायनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

4. समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सम्मिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।

5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो)
अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 23062230, फैक्स: 23061611

परिशिष्ट

हस्तशिल्प केन्द्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद के लिए आवश्यित मर्दों की सूचीक्रम सं. मर्द विवरण

1. ए ए सी/और ए सी एस आर कन्डकटर 19 स्ट्रेंड तक
2. एग्रीकल्यारल इम्पलीमेंट्स
 - क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
 - ख. पशुचालित उपकरण
3. एयर/रुम कूलर
4. एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5. एम्बुलेंस स्ट्रेंचर
6. एममीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7. एंकलेट वेब खाकी
8. ऑगुर (कारपेंट्सी)
9. आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
10. बैज क्लाथ कढाई और मेटल के
11. लेदर, काटन, कैनवस और जूट हस्त्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12. बैन्डेज क्लाथ
13. बारबेड वायर
14. बास्केट केन (राज्य बन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15. बाथ टब
16. बैटरी चार्जर
17. बैटरी एलीमिनेटर
18. बीम स्केल (1.5 टन तक)
19. बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20. बैन्च वाइसिस
21. बिटुमिनीअस पेंट्स
22. ब्लॉटिंग पेपर

- 23.बोल्ट्स एंड नल्स
- 24.बोल्ट्स स्टार्टिंग
- 25.बोन मील
- 26.बूट पार्टिश
- 27.कैनवस जूते अहिन सभी प्रकार के बूट्स एंड शूज
- 28.बाउल
- 29.लैदर नाट्स
- 30.मैटल के बने बाक्स
- 31.ब्रासिस
- 32.ब्राकेट्स, रेलवे में प्रयुक्ति के अलावा
- 33.ब्रास वार्क
- 34.ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
- 35.झाड़ू
- 36.सभी प्रकार के ब्रश
- 37.सभी प्रकार की बालिट्रां
- 38.सभी प्रकार के इटन
- 39.केंडल वैक्स कैरिज
- 40.केन नाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
- 41.मैट्रानिक कैन (दूध और मापने के लिए)
- 42.कैनवस प्रोडक्ट्स
 - (क) नाल्व प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70
 - (ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे इल शी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
- 43.सृली और उनी कैप्स
- 44.वाटरप्रूफ कैप्स
- 45.कैस्टर आयल
- 46.सीलिंग रोमिस 15 एमी तक
- 47.सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट र्लोत्स
- 48.सेन्ट्रीफुगल पंप
- 49.चाफ कन्ट्र लौड
- 50.चेन लार्पिंग
- 51.चप्पल एव सैडिल
- 52.चापोडस लैरर
- 53.चोगग फोर हाईट फीटिंग
- 54.क्रोम टैच लैदर (सेमी-फिनिशड ऐस और गाय)
- 55.सरकिलप्स
- 56.कर्लो बार्स एंड वायर्स
- 57.कलीनिंग पाउडर
- 58.कलीनिकल थमौमीटर्स
- 59.कलाथ कवर्स

60. क्लाथ जाकोनट
61. क्लाथ स्पोन्ज
62. कॅयर फाइबर एंड कॅयर यार्न
63. कॅयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
64. कॅयर रोप हैंसरलेड
65. कम्प्युनिटी रेडियो रिसीवर
66. कन्डुट पार्स्प्ल
67. कॉपर नेल
68. कॉपर नैपथीनेट
69. कॉपर सलफेट
70. कॉर्ड टवीन मेकर
71. कॉरडेज अदर्स
72. कोलगेटिङ पेपर बोर्ड एंड बाक्स
73. कॉटन एबसोरबेंट
74. कॉटन बेल्ट्स
75. कॉटन कैरियर्स
76. कॉटन केसिस
77. कॉटन कार्ड टवीन
78. कॉटन हौजरी
79. कॉटन पैक्स
80. कॉटन पाउच
81. कॉटन रोप
82. कॉटन सिंगलेट
83. कॉटन स्लींग
84. कॉटन स्ट्रैप्स
85. कॉटन टैप्स एंड लेसिस
86. कॉटन वूल (नॉन एब्जार्बेंट)
87. क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
88. (क) क्रूसीबल्स 200 नं. तक
(ख) क्रूसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक
(ग) अन्य क्रूसीबल्स 30 कि.ग्रा. तक
89. कम्बल एंड रजाईयां
90. करटेन्स मोसकीटो
91. कट्स
92. डीबूटी फिथालेट
93. डीजल इंजन 15 एच पी तक
94. डाइमेथाइल फिथालेट
95. डिसइफैक्टैन्ट फलूड
96. डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

97.घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर,प्रैस, हॉट प्लेटस, बिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन

98.घरेलू पी वी सी केबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक

99.ड्राइंग एंड मैथमैटिकल्स इन्स्ट्रुमेंट्स

100. ड्रम्स एंड बैरल
101. डस्ट बिन
102. डस्ट शील्ड लैदर
103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मर्दों को छोड़कर
104. डाईज
(क)एजो डाई(डायरेक्ट और एसिड)
(ख) बैसिक डाई
105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल
106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन
107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मद्दे जैसे कि स्टील क्रास बार्स, क्रास आर्स क्लैम्प्स आर्चिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद
108. इलैक्ट्रोनिक डोर बैल
109. एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110. इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111. इक्यूपर्मेंट कैमूकलेज बम्ब सपोर्ट
112. एक्जास्ट मफलर
113. एक्सपैंडिड बेटल
114. आईलेट्स
115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117. अग्नि शामक (बाल टाइप)
118. फूट पाउडर
119. फ्रैन्च पॉलिश
120. फानैल्स
121. फयूज कट आउट
122. फयूज यूनिट
123. गारमेंट्स (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124. गैस मेन्टल
125. गाउज क्लाथ
126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल
127. गामेल्स (तसला)
128. ग्लास एम्पुल्स
129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर

130. ग्लू
 131. ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
 132. गन केसिस
 133. गन मेटल बुश
 134. गमटेप
 135. सभी प्रकार के हैंड झॉन काट्स
 136. सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
 137. हैंड लैम्प्स रेलवे
 138. हैंड नम्बरिंग मशीन
 139. हैंड पाउंडिड राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
 140. हैंड प्रेसेस
 141. हैंड पम्प
 142. सभी प्रकार के हैंड टूल्स
 143. हैंडल बुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी अधिग्राहित की जा सकती है)
 144. हारनेस लैदर
 145. हस्पस एंड स्टैप्लस
 146. हैवर सैक्स
 147. हेलमेट नॉन-मेटालिक
 148. सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैदर
 149. हिंग्स
 150. हॉब नेल्स
 151. होल्डाल
 152. हनी
 153. हॉर्स एंड मूल शूज
 154. हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
 155. इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स(केवल मैनुअल)
 156. इनवैलिड व्हील चेयर
 157. घरेलू प्रकार के इंवर्टर 5 के वी ए तक
 158. इस्त्री (धोबी)
 159. की-बोर्ड बुडन
 160. किट बाक्स
 161. कोदाली
 162. लेस लैदर
 163. लैम्प होल्डर
 164. लैम्प सिंगल
 165. लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
 166. लैनयार्ड
 167. लेटेक्स फोम स्पंज

168. लाठी
169. लैटर बाक्स
170. लाईटिंग अरेस्टर 22 के बी तक
171. लिंक विलप
172. लिनसीड आयल
173. लिट प्लेन
174. लॉकर्स
175. लुब्रीकेटर्स
176. एल टी पोरसीलेन किटकेट एंड फ्यूज ग्रिप
177. मशीन स्क्रूब्स
178. मैग्निशियम सल्फेट
179. मैलेट वूडन
180. मैनहोल कवर्स
181. मेज़ारिंग टेप्स एवं स्टिक्स
182. मैटलक्लैड स्विचिज (30 एम्पलीफायर्स तक)
183. मैटल पोलिश
184. मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स अदरदैन एन बी सी (नोट एल्सवियर क्लासिफाईड)
185. मीट्रिक क्लेट्स
186. माइक्रोस्कोप फोर नोर्मल मैडीकल यूज
187. मिनिएचर ब्लब्स (फोर टार्डिंग ओनली)
188. एम.एस. टाई बार्स
189. नेल कटर्स
190. नेप्थलिन बाल्स
191. नीवाड़
192. निक्कल सल्फेट
193. नाइलॉन स्टॉकिंग
194. नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज
195. आयल बाउंड डिस्प्यूर
196. आयल स्टोब्स (विक स्टोब्स ओनली)
197. पैड लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स
198. पेंट रिमूवर
199. पाल्मा रोज़ा आयल
200. पॉमगुर
201. पैन्स लेवोटरी फ्लश
202. पेपर कन्वर्जन ग्रोडक्ट्स, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोसर्स एंड पेपर प्लेट्स
203. पेपर टेप्स (गम्ड)
204. पायड
205. पिकल्स एंड चटनी
206. पाइल्स फैबरिक
207. पिल्लौ
208. प्लास्टर ऑफ पेरिस

209. प्लास्टर ब्लौ मोलिड कन्टेनर्स अप टू 20 लिटर एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पी ई टी) कन्टेनर्स
210. प्लास्टिक केन
211. प्लेइंग कार्ड्स
212. प्लग एंड सॉकेट इलैक्ट्रिक अप टू 15 एम्पलीफायर
213. पोलिथिन बैग्स
214. पोलिथिन पाइप्स
215. पोस्ट पिकेट (यूडन)
216. पोस्टल लैड सील्स
217. पोटेसियम नाईट्रेट
218. पाऊच
219. प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75 किलोग्राम
220. प्रिवी पैन्स
221. पुत्तली बायर
222. पी बी सी फुटबियर
223. पी बी सी पाइप्स अपटू 110 मि.मी.
224. पीवीसी इंशुलेटिड एल्युग्मिनियम केबल्स (120 स्केयर मि.मी. तक) (आई एस एस: 694)
225. विल्ट्स, रजाई
226. रेग्स
227. रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
228. रेक्स ड्लॉस्ट
229. रेज़र
230. आरसीसी पाइप अपटू 1200 मि.मी. डाया
231. आर सी सी पोल्स प्रिस्ट्रेस्ड
232. रिवेट ऑफ ऑल टाईप्स
233. रोलिंग शटर्फ
234. रुफ टाईट फिटिंग
235. रबड बैलून
236. रबड कोर्ड
237. रबड होसिस (अनब्रांडिड)
238. रबड ट्यूबिंग (एक्सक्लूडिंग ब्रेडिड ट्यूबिंग)
239. रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, एट.
240. रस्ट/स्केल रिमूविंग कम्पोजिशन
241. सेफ मीट एंड मिल्क
242. सेफ्टी मैचिज
243. सेफ्टी पिन्स (एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, रेटेप्लस पिन्सए एट.)
244. सैनेटरी प्लम्बिंग फिटिंग
245. सैनेटरी टावल्स
246. साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
247. सिजर कटिंग (आर्डिनरी)
248. स्कूब्ज ऑफ ऑल टाइप इन्कलुडिंग हाई टेन्साइल

249. शीष स्क्रेन आल टाइप

250. शेलक

251. शू लेसिज़

252. शावेल्स

253. साइन बोर्ड पेन्टिंग

254. सिल्क रिबन

255. शिल्क पैरिंग

256. स्काइबूट्स एंड शूज

257. स्लथूज वाल्वज

258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)

259. सोप कार्बोलिक

260. सोप कर्ड

261. सोप लिक्विड

262. सोप साफ्ट

263. सोप वार्शिंग और लॉन्डरी सोप

264. सोप येल्लो

265. सॉकेट/पाइप

266. सोडियम नाइट्रेट

267. सोडियम सिलिकेट

268. सोल लैदर

269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स

270. स्पाईकड बूट

271. स्पोर्ट्स शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्ट्स गेम्स)

272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्कलूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस

273. स्टेपलिंग मशीन

274. स्टील अलमिरा

275. स्टील बैड स्टैल

276. स्टील चेयर

277. स्टील डैस्क

278. स्टील रैक्स/शैल्फ

279. स्टील स्टूल्स

280. स्टील ट्रंक

281. स्टील वूल

282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैन्टिलेटर

283. स्टाकिनेट

284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर

285. स्टोन वियर जार

286. स्ट्रैडिंग डायर

287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग

288. स्टूडेट माइक्रोस्कोप

289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)

290. सर्जिकल ग्लोब्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
291. टेबल नाइक्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
292. टेक मैटलिक
293. टैप्स
294. तारपोलिन
295. टीक फैब्रेकेटिड राउंड ब्लॉक्स
296. टैन्ट पोल्स
297. टैन्टेज सिविल / मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टैन्टेज
298. टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अदर दैन एन. ई. सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
299. टाइल्स
300. टिन बॉक्सेज फोर पोस्टेज स्टैम्प
301. टिन केन अनप्रिंटिड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओ.टी.एस.)
302. टिन मैस
303. टिप बूट्स
304. टोगगल स्विचज
305. टायलेट रोल्स
306. ट्रांसफार्मर टाइप वैल्डिंग सेट्स कंफोरमिंग टू आई एस: 1291/75 (अप टू 600 एम्परीफायर)
307. ट्रांजिस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
308. ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-ट्रांस्टर
309. ट्रेज
310. ट्रे फोर पोस्टल यूज
311. ट्रॉलि
312. ट्रॉलि-ड्रिंकिंग वाटर
313. टयूबलर पोल्स
314. टायर एंड टयूब (साइकिल)
315. अम्बेला
316. यूटेंसिल ऑल टाइप्स
317. वाल्व मैटलिक
318. वार्निश ब्लैक जापान
319. वोल्टेज स्टैबलाइजर इन्क्लूडिंग सी.वी.टी.
320. वाशर आल टाइप्स
321. वाटर प्रूफ कवर
322. वाटर प्रूफ पेपर
323. वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
324. वैक्स सीलिंग
325. वैक्सड पेपर
326. वेइंग स्केल
327. वैल्डिड वायरमाश
328. व्हील बारोस
329. विसल
330. विक्स कोटन

331. विंग शील्ड वाइपर (आर्मस एंड ब्लेड्स ऑनली)
332. वायर ब्रेसिज एंड फाइबर ब्रेसिज
333. वायर फेन्सिंग एंड फिटिंग
334. वायर नेल्स एंड होर्स शू नेल्स
335. वायर नेटिंग्स ऑफ गौज थिकर दैन 100 मेश साईज
336. वूड वूल
337. वूडन एम्युनिशन बॉक्सीज
338. वूडन बोर्ड्स
339. वूडन बॉक्स फोर स्टैम्पस
340. वूडन बॉक्सीज एंड केसिज एन.ई.सी. (नोट एल्सवियर वलासीफाइड)
341. वूडन चेयर्स
342. वूडन प्लश डोर शटर्स
343. वूडन पैकिंग केसिज आल साईजिज
344. वूडन पिन्स
345. वूडन प्लग्स
346. वूडन शैल्वज
347. वूडन वेनियर्स
348. वूलन हौजरी
349. जिंक सल्फेट
350. जिप फास्टनर

हैंडीक्राफ्ट आयटम्स

क्रम सं. तस्तु विवरण
351. केन फर्नीचर

आपूर्ति का खोल
नोर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूब डेवलपमेंट कारपोरेशन
असम गवर्नर्मेंट मार्किंग कोरपोरेशन क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ
मणिपुर
नागार्लैंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूब डेवलपमेंट कारपोरेशन

352. बेम्बू फाइल ट्रे, बास्केट, पैसिल
स्टेंड, साईड रैक एट.
353. आर्टिस्टिक वूडन फर्नीचर
354. वूडन पेपर बेट, रैक्स एट.
355. ग्लास कवर्स मेड ऑफ वूड एंड
ग्रास जूट
356. जूट फर्नीचर
357. जूट बैग्स, फाइल कवर
358. वूलन एंड सिल्क कारपेट्स

-वही-

राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन, उत्तर प्रदेश

एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन

-वही-

-वही-

वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
उडीसा स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कोरपोरेशन

-वही-

यू. पी. एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन
जे एंड के सेल एंड एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES**

New Delhi, the 23rd March, 2012

ORDER

S.O. 581(E).—Whereas, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy shall apply to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy rests upon core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective; and

And whereas, for facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government, as the case may be, by Order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or Departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notifies the Public Procurement Policy (hereinafter referred to as the Policy) in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings.

2. Short title and commencement. -

- (1) This Order is titled as 'Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012'.
- (2) It shall come into force with effect from 1st April 2012.

3. Mandatory procurement from Micro Small and Enterprises.—(1) Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 per cent, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years.

(2) Annual goal of procurement also include sub-contracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.

(3) After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20 per cent shall be made mandatory.

(4) The Central Ministries, Departments and Public Sector Undertakings which fail to meet the annual goal shall substantiate with reasons to the Review Committee headed by Secretary (Micro, Small and Medium Enterprises), constituted in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, under this Policy.

4. Special provisions for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes. % Out of 20 per cent target of annual procurement from Micro and Small Enterprises, a sub-target of 20 per cent (i.e., 4 per cent out of 20 per cent) shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe entrepreneurs. Provided that, in event of failure of such Micro and Small Enterprises to participate in tender process or meet tender requirements and L1 price, 4 per cent sub-target for procurement earmarked for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Caste or Scheduled Tribe entrepreneurs shall be met from other Micro and Small Enterprises.

5. Reporting of targets in Annual Report. % (1) The data on Government procurements from Micro and Small Enterprises is vital for strengthening the Policy and for this purpose, every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall report goals set with respect to procurement to be met from Micro and Small Enterprises and achievement made thereto in their respective Annual Reports.

(2) The annual reporting shall facilitate in better understanding of support being provided by different Ministries or Departments or Public Sector Undertakings to Micro and Small Enterprises.

6. Price quotation in tenders. % (1) In tender, participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply up to 20 per cent of total tendered value.

(2) In case of more than one such Micro and Small Enterprise, the supply shall be shared proportionately (to tendered quantity).

7. Developing Micro and Small Enterprise vendors. - The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organizing Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets and entering into Rate

Contract with Micro and Small Enterprises for a specified period in respect of periodic requirements.

8. Annual Plan for Procurement from Micro and Small Enterprises on websites. — The Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall also prepare Annual Procurement Plan for purchases and upload the same on their official website so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.

9. Enhancing participations of Micro and Small Enterprises including those owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurements. % For enhancing participation of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurement, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall take following steps, namely:-

- (a) Special Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets shall be conducted by Departments/Public Sector Undertakings for Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
- (b) Outreach programmes shall be conducted by National Small Industries Corporation to cover more and more Micro and Small Enterprises from Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its schemes of consortia formation; and
- (c) National Small Industries Corporation shall open a special window for Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its Single Point Registration Scheme (SPRS).

10. Reduction in transaction cost. % To reduce transaction cost of doing business, Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

11. Reservation of specific items for procurement. % To enable wider dispersal of enterprises in the country, particularly in rural areas, the Central Government Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall continue to procure 358 items (Appendix) from Micro and Small Enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them. This will help in promotion and growth of Micro and Small Enterprises, including Khadi and village industries, which play a critical role in fostering inclusive growth in the country.

12. Review Committee.—(1) A Review Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for

monitoring and review of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises vide Order No. 21(1)/2007-MA dated the 21st June 2010 (Annexure).

(2) This Committee shall, inter alia, review list of 358 items reserved for exclusive purchase from Micro and Small Enterprises on a continuous basis, consider requests of the Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings for exemption from 20 per cent target on a case to case basis and monitor achievements under the Policy.

13. Setting up of Grievance Cell. % In addition, a 'Grievance Cell' will be set up in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for redressing grievances of Micro and Small Enterprises in Government procurement. This cell shall take up issues related to Government procurement raised by Micro and Small Enterprises with Departments or agencies concerned, including imposition of unreasonable conditions in tenders floated by Government Departments or agencies that put Micro and Small Enterprises at a disadvantage.

14. Special Provisions for Defence Procurements. % Given their unique nature, defence armament imports shall not be included in computing 20 per cent goal for Ministry of Defence. In addition, defence equipments like weapon systems, missiles, etc. shall remain out of purview of such Policy of reservation.

15. Monitoring of Goals. % The monitoring of goals set under the Policy shall be done, in so far as they relate to the Defence sector, by Ministry of Defence itself in accordance with suitable procedures to be established by them.

16. Removal of difficulty. % Any difficulties experienced during the course of implementation of the above Policy shall be clarified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through suitable Press releases which would be kept on the public domain.

[F.No. 21(1)/2011-MA]

AMARENDRA SINHA, Additional Secretary and
Development Commissioner (MSME)

ANNEXURE

No. 21(1)/2007-MA

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,
New Delhi-110108

Dated: 21st June, 2010

ORDER

Subject: Constitution of a Committee for monitoring and

review of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

Pending approval of the new Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), a Committee is hereby constituted for looking into the applicability of some of the provisions of the proposed Policy in respect of select Central Ministries/Departments. The Committee will be chaired by the Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

2. The composition of the Committee will be as follows:

- (i) Secretary, Ministry of MSME : Chairman
- (ii) Secretary, Planning Commission : Member
- (iv) Secretary, Department of Public Enterprises : Member
- (v) Director General (Supplies and Disposals), Department of Commerce, : Member
- (vii) Ministry of Commerce and Industry
- (viii) Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) : Member Secretary

3. The Committee will undertake the following functions:

- (i) Consider the requests of the Central Ministries/ Departments/PSUs for exemption, on a case to case basis, from the 20% target;
- (ii) Review the list of 358 items (as per Appendix) reserved for exclusive purchase from the MSEs based on the feedback received from the Central Ministries/Departments/PSUs ;
- (iii) Review the grievances received from MSEs regarding Government procurement, including imposition of unreasonable conditions in the tenders floated by the Government Departments/PSUs; and
- (iv) Suggest special measures to be taken by the Central Ministries/ Departments for enhancing their procurements from MSEs.

4. The Committee may co-opt any other Ministries/ Departments of the Central Government as well as State Governments or invite any other expert/person associated/ concerned with the MSMEs in its meetings, as and when required.

5. The Office of the Development Commissioner (MSME) will provide secretariat support to this Committee.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

Sd-

(Praveen Mahto)

Additional Economic Adviser

Ph: 23062230, Fax 23061611

APPENDIX

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR

Sl No. Item Description

1. AAC/and ACSR Conductor upto 19 strands
2. Agricultural Implements
 - (a) Hand Operated tools and implements
 - (b) Animal driven implements
3. Air/Room Coolers
4. Aluminum builder's hardware
5. Ambulance stretcher
6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
7. Anklets Web Khaki
8. Augur (Carpenters)
9. Automobile Head lights Assembly
10. Badges cloth embroidered and metals
11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas and jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags and water-proof bag.
12. Bandage cloth
13. Barbed Wire
14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
15. Bath tubs
16. Battery Charger
17. Battery Eliminator
18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
19. Belt leather and straps
20. Bench Vices
21. Bituminous Paints
22. Blotting Paper

23. Bolts and Nuts

24. Bolts Sliding

25. Bone Meal

26. Boot Polish

27. Boots and Shoes of all types including canvas shoes

28. Bowls

29. Boxes Leather

30. Boxes made of metal

31. Braces

32. Brackets other than those used in Railways

33. Brass Wire

34. Brief Cases (other than moulded luggage)

35. Brooms

36. Brushes of all types

37. Buckets of all types

38. Button of all types

39. Candle Wax Carriage

40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)

41. Cans metallic (for milk and measuring)

42. Canvas Products :

(a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70

(b) Bonnet Covers and Radiators Muff. to spec. Drg. Lv 7/NSN/IA/130295

43. Capes Cotton and Woollen

44. Capes Waterproof

45. Castor Oil

46. Ceiling roses upto 15 amps

47. Centrifugal steel plate blowers

48. Centrifugal Pumps suction and delivery 150 mm. x 150 mm

49. Chaff Cutter Blade

50. Chains lashing

51. Chappals and sandals

52. Chamois Leather

53. Chokes for light fitting

54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo and Cow)

55. Circlips

56. Claw Bars and Wires

57. Cleaning Powder

58. Clinical Thermometers

59. Cloth Covers

60. Cloth Jaconet

61. Cloth Sponge

62. Coir fibre and Coir yarn

63. Coir mattress cushions and matting

64. Coir Rope hawserlaid

65. Community Radio Receivers

66. Conduit pipes

67. Copper nail

68. Copper Napthenate

69. Copper sulphate

70. Cord Twine Maker

71. Cordage Others

72. Corrugated Paper Board and Boxes

73. Cotton Absorbent

74. Cotton Belts

75. Cotton Carriers

76. Cotton Cases

77. Cotton Cord Twine

78. Cotton Hosiery

79. Cotton Packs

80. Cotton Pouches

81. Cotton Ropes

82. Cotton Singlets

83. Cotton Sling

84. Cotton Straps

85. Cotton tapes and laces

86. Cotton Wool (Non absorbent)

87. Crates Wooden and plastic

88. (a) Crucibles upto No. 200
 (b) Crucibles Graphite upto No. 500
 (c) Other Crucibles upto 30 kgs.

89. Cumblies and blankets

90. Curtains mosquito

91. Cutters

92. Dibutyl phthalate

93. Diesel engines upto 15 H.P

94. Dimethyl Phthalate

95. Disinfectant Fluids

96. Distribution Board upto 15 amps

97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-

- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders, Room heaters and convectors and ovens

98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section

99. Drawing and Mathematical Instruments

100. Drums and Barrels

101. Dust Bins

102. Dust Shield leather

103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi

104. Dyes :

- (a) Azo Dyes (Direct and Acid)
- (b) Basic Dyes

105. Electric Call bells/buzzers/door bells

106. Electric Soldering Iron

107. Electric Transmission Line Hardware items like steel cross bars, cross arms clamps arching horn, brackets, etc

108. Electronic door bell

109. Emergency Light (Rechargeable type)

110. Enamel Wares and Enamel Utensils

111. Equipment camouflage Bamboo support

112. Exhaust Muffler

113. Expanded Metal

114. Eyelets

115. Film Polythene - including wide width film

116. Film spools and cans

117. Fire Extinguishers (wall type)

118. Foot Powder

119. French polish

120. Funnels

121. Fuse Cut outs

122. Fuse Unit

123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)

124. Gas mantels

125. Gauze cloth

126. Gauze surgical all types

127. Ghamellas (Tasllas)

128. Glass Ampules

129. Glass and Pressed Wares

130. Glue

131. Grease Nipples and Grease guns

132. Gun cases

133. Gun Metal Bushes

134. Gumtape

135. Hand drawn carts of all types

136. Hand gloves of all types

137. Hand Lamps Railways

138. Hand numbering machine

139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)

140. Hand presses

141. Hand Pump

142. Hand Tools of all types

143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)

144. Harness Leather

145. Hasps and Staples

146. Haver Sacks

147. Helmet Non-Metallic

148. Hide and country leather of all types

149. Hinges

150. Hob nails

151. Holdall

152. Honey

153. Horse and Mule Shoes

154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity

155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)

156. Invalid wheeled chairs.

157. Invertor domestic type upto 5 KVA

158. Iron (dhobi)

159. Key board wooden

160. Kit Boxes

161. Kodali

162. Lace leather

163. Lamp holders

164. Lamp signal

165. Lanterns Posts and bodies

166. Lanyard

167. Latex foam sponge

168. Lathies

169. Letter Boxes

170. Lighting Arresters - upto 22 kv

171. Link Clip

172. Linseed Oil

173. Lint Plain

174. Lockers

175. Lubricators

176. L.T. Porcelain KITKAT and Fuse Grips

177. Machine Screws

178. Magnesium Sulphate

179. Mallet Wooden

180. Manhole covers

181. Measuring Tapes and Sticks

- 182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
- 183. Metal Polish
- 184. Metallic containers and drums other than N.E.C.
(Not elsewhere classified)
- 185. Metric weights
- 186. Microscope for normal medical use
- 187. Miniature bulbs (for torches only)
- 188. M.S. Tie Bars
- 189. Nail Cutters
- 190. Naphthalene Balls
- 191. Newar
- 192. Nickel Sulphate
- 193. Nylon Stocking
- 194. Nylon Tapes and Laces
- 195. Oil Bound Distemper
- 196. Oil Stoves (Wick stoves only)
- 197. Pad locks of all types
- 198. Paint remover
- 199. Palma Rosa Oil
- 200. Palmgur
- 201. Pans Lavatory Flush
- 202. Paper conversion products- paper bags, envelops, ice-cream cup, paper cup and saucers and paper Plates
- 203. Paper Tapes (Gummed)
- 204. Pappads
- 205. Pickles and Chutney
- 206. Piles fabric
- 207. Pillows
- 208. Plaster of Paris
- 209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terephthalate (PET) Containers
- 210. Plastic cane
- 211. Playing Cards
- 212. Plugs and Sockets electric upto 15 Amp
- 213. Polythene bags
- 214. Polythene Pipes
- 215. Post Picket (Wooden)
- 216. Postal Lead seals
- 217. Potassium Nitrate
- 218. Pouches
- 219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg
- 220. Privy Pans
- 221. Pulley Wire
- 222. PVC footwears
- 223. PVC pipes upto 110 mm
- 224. PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm)
(ISS:694)
- 225. Quilts, Razais
- 226. Rags
- 227. Railway Carriage light fittings
- 228. Rakes Ballast
- 229. Razors
- 230. RCC Pipes upto 1200 mm. dia
- 231. RCC Poles Prestressed
- 232. Rivets of all types
- 233. Rolling Shutters
- 234. Roof light Fittings
- 235. Rubber Balloons
- 236. Rubber Cord
- 237. Rubber Hoses (Unbranded)
- 238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
- 239. Rubberised Garments Cap and Caps etc
- 240. Rust/Scale Removing composition
- 241. Safe meat and milk
- 242. Safety matches
- 243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
- 244. Sanitary Plumbing fittings
- 245. Sanitary Towels
- 246. Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items)
- 247. Scissors cutting (ordinary)
- 248. Screws of all types including High Tensile
- 249. Sheep skin all types
- 250. Shellac
- 251. Shoe laces
- 252. Shovels
- 253. Sign Boards painted
- 254. Silk ribbon
- 255. Silk Webbing
- 256. Skiboots and shoes
- 257. Sluice Valves
- 258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
- 259. Soap Carbolic
- 260. Soap Curd
- 261. Soap Liquid
- 262. Soap Soft
- 263. Soap washing or laundry soap
- 264. Soap Yellow
- 265. Socket/pipes

266. Sodium Nitrate

267. Sodium Silicate

268. Sole leather

269. Spectacle frames

270. Spiked boot

271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games)

272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase

273. Stapling machine

274. Steel Almirah

275. Steel bedsstead

276. Steel Chair

277. Steel desks

278. Steel racks/shelf

279. Steel stools

280. Steel trunks

281. Steel wool

282. Steel and aluminium windows and ventilators

283. Stockinet

284. Stone and stone quarry rollers

285. Stoneware jars

286. Stranded Wire

287. Street light fittings

288. Student Microscope

289. Studs (excluding high tensile)

290. Surgical Gloves (Except Plastic)

291. Table knives (Excluding Cutlery)

292. Tack Metallic

293. Taps

294. Tarpaulins

295. Teak fabricated round blocks

296. Tent Poles

297. Tentage Civil/Military and Salitah Jute for Tentage

298. Textiles manufactures other than N.E.C. (not elsewhere classified)

299. Tiles

300. Tin Boxes for postage stamp

301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)

302. Tin Mess

303. Tip Boots

304. Toggle Switches

305. Toilet Rolls

306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)

307. Transistor Radio upto 3 band

308. Transistorised Insulation - Testers

309. Trays

310. Trays for postal use

311. Trolley

312. Trolleys -drinking water

313. Tubular Poles

314. Tyres and Tubes (Cycles)

315. Umbrellas

316. Utensils all types

317. Valves Metallic

318. Varnish Black Japan

319. Voltage Stabilisers including C.V.T's

320. Washers all types

321. Water Proof Covers

322. Water Proof paper

323. Water tanks upto 15,000 litres capacity

324. Wax sealing

325. Waxed paper

326. Weighing Scale

327. Welded Wiremash

328. Wheel barrows

329. Whistle

330. Wicks cotton

331. Wing Shield Wipers (Arms and Blades only)

332. Wire brushes and Fibre Brushes

333. Wire Fencing and Fittings

334. Wire nails and Horse shoe nails

335. Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size

336. Wood Wool

337. Wooden ammunition boxes

338. Wooden Boards

339. Wooden Box for Stamps

340. Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified)

341. Wooden Chairs

342. Wooden Flush Door Shutters

343. Wooden packing cases all sizes

344. Wooden pins

345. Wooden plugs

346. Wooden shelves

347. Wooden veneers

348. Woollen hosiery

349. Zinc Sulphate

350. Zip Fasteners

HANDICRAFT ITEMS			
Sl.No.	Item Description	Source of Supply	
351	Cane furniture Handlooms	North Eastern Handicrafts and Development Corporation Assam Govt. Marketing Corpn. Craft Society of Manipur Nagaland Handicrafts and Handlooms Development Corpn.	354. Wooden paper weight, racks etc. -do- 355. Glass covers made and grass jute of wood -do-
352.	Bamboo file tray, Baskets, Pencil stand, side racks etc.	-do-	356. Jute furniture West Bengal Handicrafts Dev.Corp. Jute Mfg. Development Corporation Orissa State Handicrafts Dev.Corpn. -do-
353.	Artistic Wooden Furniture	Rajasthan Small Industries Corpn., U.P. Export Corporation.	357. Jute bags, file cover 358. Woolen and silk carpets U.P. Export Corporation JandK Sale and Export Corporation